

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 27/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/56

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
विकास अधिकारी, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. सरपंच, ग्राम पंचायत सारण 2. चैनसिंह पुत्र धनसिंह जाति रावत निवासी सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन।

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994”

उपस्थिति :-

1. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी।

—: निर्णय :-

दिनांक : 28/03/2025

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 2 दिनांक 15.07.2006 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 चैनसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7468 दिनांक 15.07.2006 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। प्रार्थी वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जैर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सारण ने मिसल संख्या 2 दिनांक 15.07.2006 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 चैनसिंह के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा निष्पादित किया है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है जबकि तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के अनुसार जैर निगरानी पट्टे की भूमि गैर मुमकीन श्मशान है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14779/2021 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2021 की पालना के तहत ग्राम पंचायत सारण में खसरा नम्बर 1028 किस्म गैर मुमकिन श्मशान पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किये हैं। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के पत्रांक 1209 दिनांक 03.03.2022 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 1028 में स्थित है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है इसलिये इसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे को खसरा संख्या 1028 में स्थित होना बताया है परन्तु उनके द्वारा आबादी भूमि एवं सरकारी भूमि के खसरों की पेमाईश नहीं की गई। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 1028 के पुराने खसरा संख्या में श्मशान की भूमि कितनी थी, यह स्पष्ट नहीं है। जैर निगरानी पट्टे का ग्राम पंचायत द्वारा कोरम में प्रस्ताव लिया गया था तथा



पंचायती राज नियमों के तहत कार्यवाही की जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। वर्तमान में मौके पर पक्के मकान बने हुये है। इसलिये अप्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 2 दिनांक 15.07.2006 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 चैनसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7468 दिनांक 15.07.2006 के विरुद्ध पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि प्रतिबंधित है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत रियायती दर पर/निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमादेन प्राप्त नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि आवंटी का पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में या किस स्थान पर जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार मारवाड जंक्शन के पत्र दिनांक 03.03.2022 में अनुसार मौजा सारण के खसरा नम्बर 1024, 1028 में किये गये अतिक्रमियों के विरुद्ध दर्ज धारा 91 के प्रकरण दर्ज किये गये तथा मौके पर उक्त खसरों में अतिक्रमियों द्वारा पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 - विक्रय की शिक्त से आबादी भूमि के कतिपय प्रवर्गों का अपवर्जन - पंचायत सर्किल के भीतर चारागाह भूमियों का और आबादी के विस्तार के लिए अकृष्य बंजर भूमियों का आवंटन, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से शासित होगा। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि, अन्य प्रयोजनार्थ हेतु प्रतिबंधित है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 20.10.2005, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर न तो हस्ताक्षर के सायल है और न ही नक्शा तैयार किये जाने की दिनांक अंकित है। नियम



146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

जैर निगरानी मिसल की आदेशिका दिनांक 09.03.2006 एवं आदेशिका दिनांक 15.07.2006 पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। प्रश्नगत भूमि के कब्जे सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान भी नहीं लिये गये। प्रकरण में जो आपत्ति इशितहार जारी किया गया, वह एक कार्बन कॉपी है और उक्त आपत्ति इशितहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में किसी गवाह के हस्ताक्षर और उनकी वल्दियती अंकित नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया है। जैर निगरानी पट्टा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा किसी भी रूप में इस तथ्य का परीक्षण नहीं किया गया कि अप्रार्थी सन्दर्भित नियम के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता है या नहीं ? जबकि पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट में भी यह पाया है कि जैर निगरानी पट्टा प्रतिबंधित भूमि में जारी किया गया है, जो विधिविरुद्ध है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – "Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 2 दिनांक 15.07.2006 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 चैनसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7468 दिनांक 15.07.2006 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

